उत्तराखण्ड शासन,
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1
संख्या– / XXIV–B–1 / 2021–02(01) / 2020 TC।
देहरादून: दिनांक 03 फरवरी, 2021

कार्यालय–ज्ञाप
संशोधन

शासनादेश संख्या–1310 / XXIV–B–1 / 2021–02(01) / 2020 दिनांक 08.01.2021 के माध्यम से राज्य के प्रत्येक विकास खण्ड में अवस्थित 02 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों (कुल 188) को अटल उत्कृष्ट योजना के अन्तर्गत चिन्हीकरण / चयन किया गया था।

2– प्रकरण में निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा अपने पत्रांक–रा0प0का0 / 1114 / नि0का0–अ0आ0वि0 / 2020–21 दिनांक 27.01.2021 के द्वारा कतिपय विद्यालयों के स्थान पर अन्य विद्यालय चिन्हीत किये जाने, विकास खण्ड नारसन, हरिद्वार में नवीन विद्यालय के चिन्हीकरण एवं विद्यालयों के त्रुटिपूर्ण अंकन को शुद्व किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। उक्त के कम में उपरोक्त शासनादेश दिनांक 08.01.2021 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

(1) शासनादेश दिनांक 08.01.2021 के अन्तर्गत अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की सूची में विकास खण्ड नारसन, जिला हरिद्वार से मात्र 01 विद्यालय का अटल उत्कृष्ट विद्यालय में चयन किया गया था। उक्त विकास खण्ड में द्वितीय विद्यालय के रुप में **"सरस्वती राजकीय कन्या इण्टर कालेज झबरेड़ा, हरिद्वार"** को अटल उत्कृष्ट विद्यालय के अन्तर्गत चिन्हित / चयन किया जाता है।

(2) शासनादेश दिनांक 08.01.2021 के अन्तर्गत अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की सूची के कमांक–05 में विकास खण्ड द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा के अन्तर्गत रा0इ0का0 द्वाराहाट के स्थान पर **रा0क0इ0का0 द्वाराहाट** संशोधित किया जाता है।

(3) उक्त के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 08.01.2021 के अन्तर्गत अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की सूची के कमांक–26 में विकास खण्ड कपकोट, जिला बागेश्वर, कमांक–34 में विकास खण्ड घाट, जिला चमोली, कमांक–75 एवं 76 विकास खण्ड बहांदराबाद, जिला हरिद्वार, कमांक–94 में विकास खण्ड यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल तथा कमांक–157 में विकास खण्ड भिलंगना, जिला टिहरी गढ़वाल में उल्लिखित विद्यालयों के स्थान पर निम्नांकित विद्यालयों को अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रुप में चिन्हित / चयन कर शासनादेश दिनांक 08.01.2021 में उक्तानुसार संशोधन किया जाता है:–

क्र.स.	जनपद	विकास खण्ड	पूर्व में चयनित अटल उत्कृष्ट विद्यालय का नाम	संशोधित अटल उत्कृष्ट विद्यालय का नाम
1.	बागेश्वर	कपकोट	रा0इ0का0, कन्यालीकोट	रा0इ0का0, सूपी
2.	चमोली	घाट	रा0इ0का0, काण्डई	रा0इ0का0, सितेल
3.	हरिद्वार	बहादराबाद	रा0बा0इ0का0, ज्वालापुर	रा0इ0का0, पथरी
4.	हरिद्वार	बहादराबाद	रा0इ0का0, बी0एच0ई0एल0	रा0इ0का0, मानूबास
5.	पौड़ी	यमकेश्वर	रा0इ0का0, मोहनचट्टी	रा0इ0का0, गैण्डखाल
6.	टिहरी	भिलंगना	रा0इ0का, पौखाल	रा0इ0का0, मथकुड़ीसैंण

कमश

3— शासनादेश संख्या—1310 / XXIV-B-1 / 2021-02(01) / 2020, दिनांक 08.01.2021 को इस सीमा तक संशोधित समझा / पढ़ा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक 08.01.2021 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या— 491 / XXIV-B-1 / 2021-02(01) / 2020 TC I तद्दिनांकित

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल / कुमाँऊ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, हरिद्वार, पौड़ी एवं टिहरी गढ़वाल।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, हरिद्वार, पौड़ी एवं टिहरी गढ़वाल।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।